

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

ज्ञापांक:- 156

दिनांक:- 13/5/19

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, चतरा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना शिवपुर-कठौतिया न्यू रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम- मुरुए, थाना- सिमरिया, थाना नं०- 145 अंचल- सिमरिया, जिला-चतरा में कुल रकबा 0.32 एकड़ यानि 0.129 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.32 एकड़ यानि 0.129 हेक्टेयर है और जो ग्राम- सिमरिया, थाना- सिमरिया, थाना नं०- 145, अंचल- सिमरिया, जिला- चतरा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

| क्र० सं० | खाता सं० | सर्वे भूखंड सं० | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं०) | | | |
|----------|----------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | उ० | द० | पू० | प० |
| 01 | 52 | 1010 अंश | रैयती | परती कदीम | 0.32 | सन्नु महतो पिता स्व दुसाघ महतो | प्लॉट संख्या 230 | प्लॉट संख्या 1038 | प्लॉट संख्या 1009 | प्लॉट संख्या सड़क |
| | | | | कुल | 0.32 | | | | | |

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

ग्राम XXX थाना XXX थाना सं० XXX अंचल XXX जिला चतरा क्षेत्रफल XXX एकड़ यानि XXX हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, चतरा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं- XXX

13/05/19
 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
 चतरा।